

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(26)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक

30/7/19

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री लादाराम विश्‍नोई, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/790/95) को जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जोधपुर जिला, जोधपुर के पद पर मासिक रिटैनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री पोकर राम विश्‍नोई, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जोधपुर जिला जोधपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला जोधपुर।
9. जिला कलक्टर, जोधपुर।
10. कोषाधिकारी, जोधपुर।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
14. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
15. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।



(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(26)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक

30/7/19

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं०	पद नाम/स्थान
1	श्री किशनलाल (गेंवा)	आर/2293/03	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जोधपुर जिला, जोधपुर
2	श्री अब्दुल मजीद खिलजी	आर/1070/02	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, फलौदी, जिला जोधपुर

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र०सं०	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री गोपीकिशन शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जोधपुर जिला जोधपुर
2	श्री आसू सिंह भाटी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, फलौदी जिला जोधपुर

आज्ञा से

३०

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला जोधपुर।
- 9 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला/फलौदी जिला जोधपुर।
- 10 जिला कलक्टर, जोधपुर।
- 11 कोषाधिकारी, जोधपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

30/7/2019
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण